तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2/1/26	पत्रा. पेश। वकील पक्ष. उपस्थित। Tdr Report दि० 29/10/25 प्राप्त। अतः पत्रा. पेश। वास्ते अवलोकन Tdr Report 10/2/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
10/2/26	पत्रा पेश। वास्ते आदेश 11/2/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
11/2/26.	पत्रा पेश। वास्ते आदेश 27/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
27/3/26	पत्रा. पेश। यह वाद वादीगण द्वारा धारा 188 एवं 92A RT Act के अंतर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि खसरा संख्या 174 रकबा 2.06 हेक्टेयर, जो उनके पिता स्व. मैसेलाल के नाम दर्ज था (मृत्यु वर्ष 2024), पर प्रतिवादी छोटू पुत्र कान्हा द्वारा जबरन रास्ता निकालने का प्रयास कर उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

कब्जे में हस्तक्षेप किया जा रहा है

प्रकरण में उपलब्ध जमाबंदी अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 174 का 1/2 भाग स्व. भैरूलाल (अब वादिनीगण) तथा 1/2 भाग सुगनाबाई के नाम दर्ज है। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का रास्ता दर्ज नहीं है।

TDR की रिपोर्ट से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी की भूमि खसरा सं. 592/170 है तथा वह अपने खेत तक पहुँचने के लिए दक्षिण एवं पश्चिम दिशा से मार्ग का उपयोग करता रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना परिलक्षित होता है।

प्रतिवादी द्वारा वादिनीगण की भूमि खसरा सं. 174 से होकर रास्ता होने का कोई विधिसम्मत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मौखिक

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कथन के आधार पर किसी रास्ते का अधिकार स्थापित नहीं माना जा सकता है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रतिवादी द्वारा वादिनीगण की भूमि से होकर नया रास्ता बनाने का प्रयास, वादिनीगण के वैध कब्ज़े में अवैध हस्तक्षेप है।

आदेशित किया जाता है कि—

1. प्रतिवादी धोंदू को वादिनीगण की भूमि खसरा सं 174 रकबा 2.06 हे. ग्राम बालकू तहसील पेंचट जो कि वर्तमान में भैरूलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है, में किसी प्रकार का रास्ता निकालने अथवा हस्तक्षेप करने से रोका जाता है।

2. प्रतिवादी को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि वह भैरूलाल के खाते व भैरूलाल के वारिसान के कब्ज़े में बाधा उत्पन्न न करे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि

...काम ...की तारीख ...जारी हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यदि प्रतिवादी किसी प्रकार के मार्ग (easement) के अधिकार का दावा करता है, तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष पृथक वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। निर्णय आज 27/03/26 को सुनाया गया। फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0) Che 27/3/26 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	